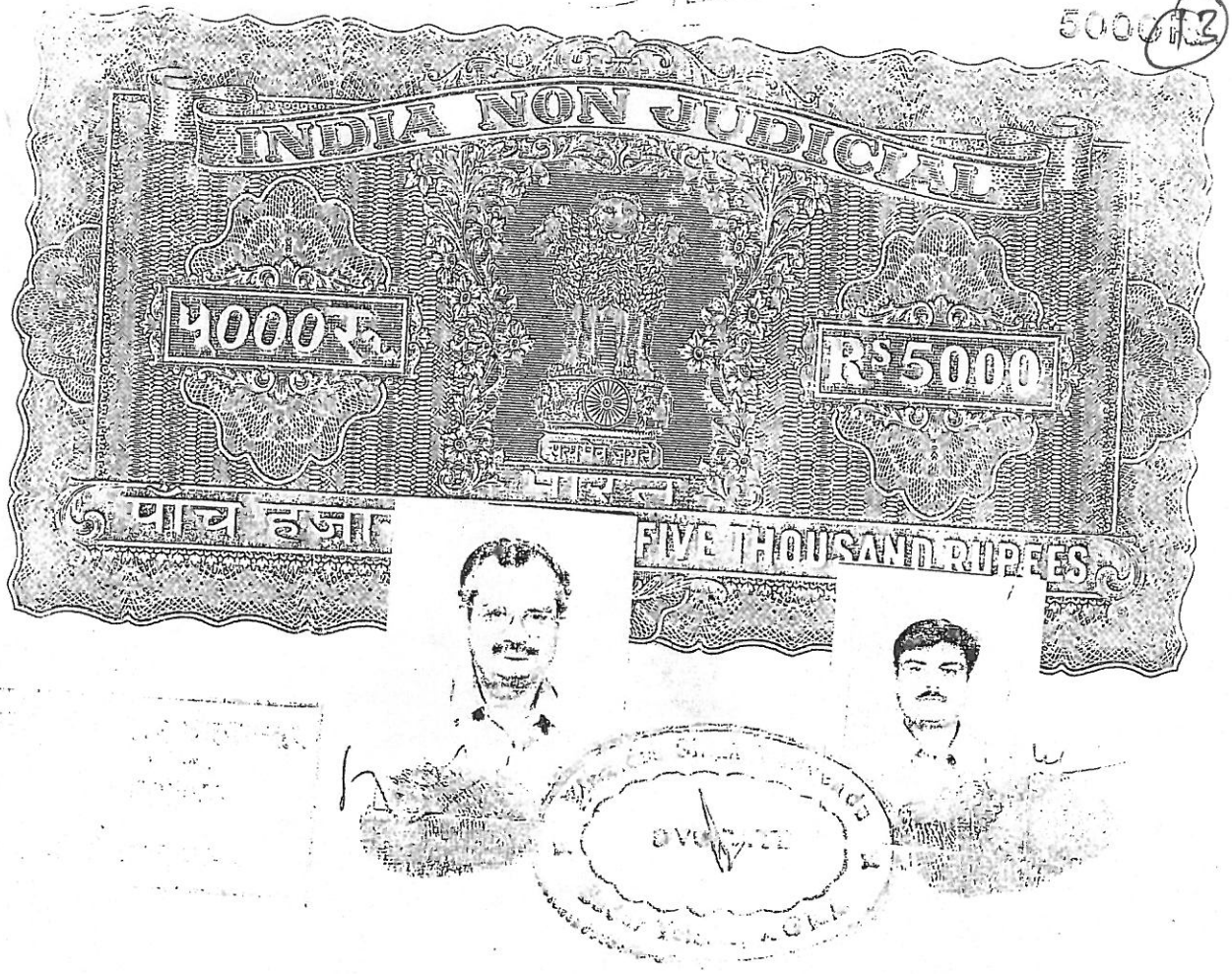

5000

INDIA NON JUDICIAL

५000रू. Rs 5000

पाँच हजार ... FIVE THOUSAND RUPEES

किस्म दस्तावेज -	बैनामा
खरीद कीमत -	27,00,000/- रूपया।
स्टाम्प अदा ----	50,000/- रूपया।

वाकै - ग्राम ककरैठा तहसील व जिला आगरा में स्थित है विक्रीत आराजी मुख्य मार्ग से एक किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित है तथा विक्रीत आराजी के विक्रय से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27(1)(ii) का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

सीता देवी

5000 Rs.

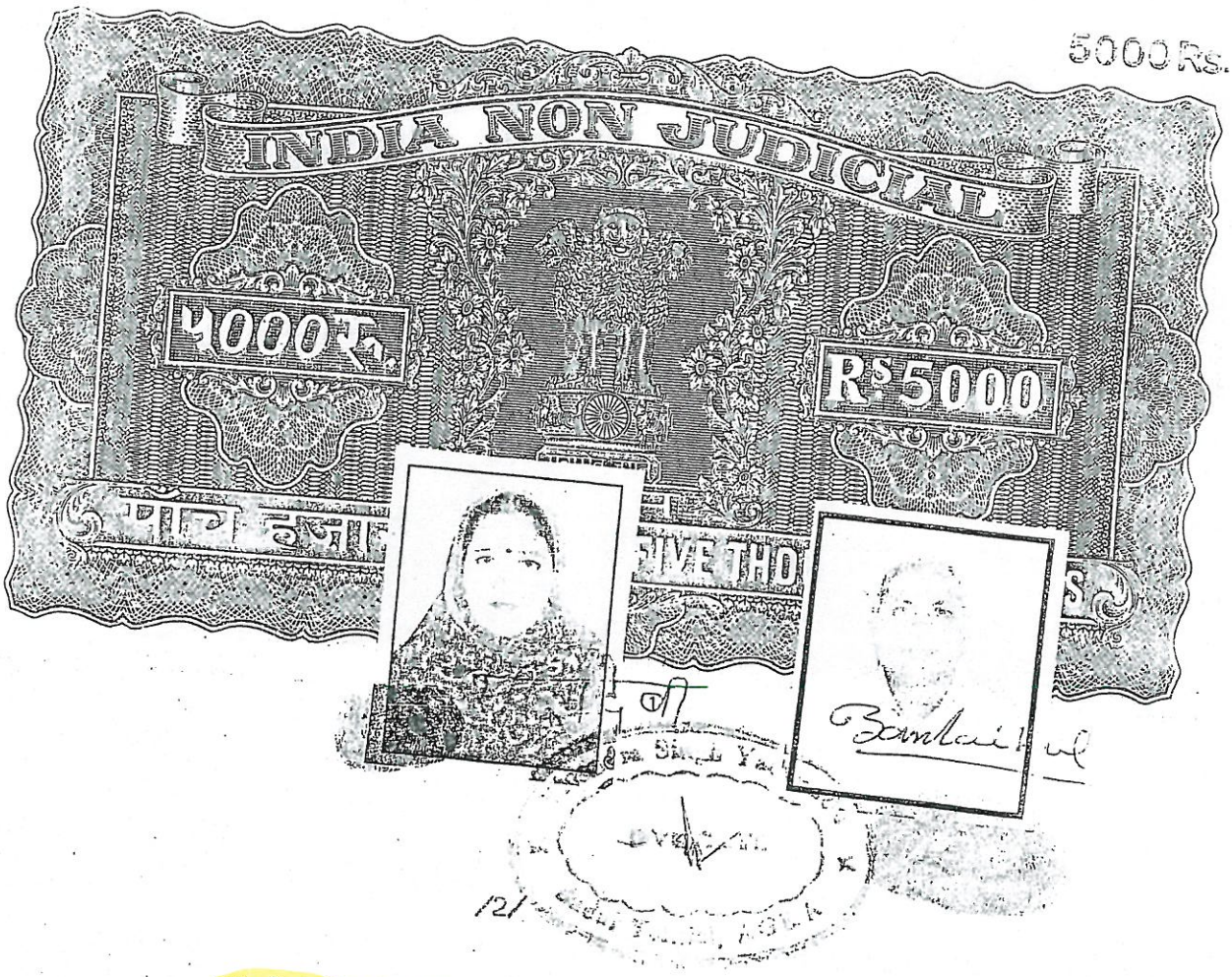

INDIA NON JUDICIAL

५000 रु.

Rs 5000

पांच हजार ... FIVE THO...

/2/

हम कि श्री नरायन पुत्र श्री तोताराम व राजीव कुमार पुत्र श्री हरीओम निवासी फतेहाबाद शहर आगरा व श्रीमती सीतादेवी पत्नी श्री वीरपाल सिंह निवासी मोहन नगर नगला रामबल तहसील व जिला आगरा बहैसियत मुख्तारेआम मिन जानिब श्रीमती वीरेन्द्र कुमारी पत्नी श्री विनोद कुमार निवासी नगला धानी तहसील फतेहाबाद जिला आगरा मुख्तारनामा पंजीकृत दिनांक 04-04-2003 ई0 जिसका कि पंजीकरण कार्यालय सब रजिस्ट्रार आगरा के यहाँ पर वही नम्बर 4 जिल्द 845 के पृष्ठ 173/178 पर क्रम संख्या 249 पर दि0 04-04-2003 ई0 को विधिवत पंजीकृत है, उपरोक्त मुख्तारनामा आज तक कायम व बरकरार है तथा कही पर खण्डित व बेअसर नही हुआ है जिसकी बावत मु० प्रथमपक्ष को समस्त प्रकार के अधिकार विक्रय आदि के विधिवत प्राप्त है का हूँ ---------- प्रथमपक्ष विक्रेता।

सीता देवी

Bamlai Lal

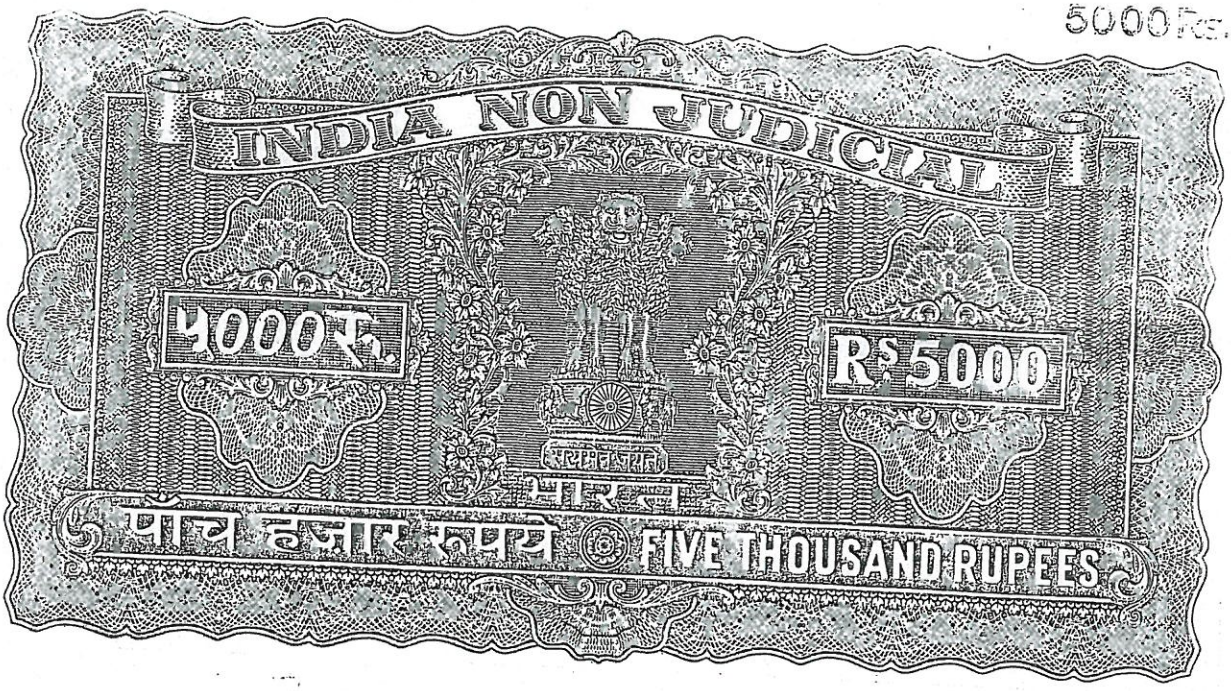

5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पांच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

श्री बालाजी सहकारी आवास समिति लि0 आगरा पंजीकरण संख्या 1213 दि0 13-05-88 ई0 बहैसियत सचिव श्री बनवारी लाल पुत्र श्री रोशन लाल निवासी ग्राम ककरैठा तहसील व जिला आगरा।

------------ द्वितीयपक्ष क्रेता।

जो कि आराजी वाकै ग्राम ककरैठा तहसील व जिला आगरा खाता खतौनी के मुताबिक खाता क्रमांक 92 व खसरा संख्या 188 व रकबा 0.127 हैक्टेयर व खसरा संख्या 189 व रकबा 0.219 हैक्टेयर व खसरा संख्या 269 व रकबा 0.277 हैक्टेयर कुल किता तीन कुल रकबा 0.623 हैक्टेयर जिसकी माल गुजारी 4 रूपया 30 पैसे सालाना है जो सन 1406 फसली से सन 1411 फसली तक जो कि संक्रमणीय भूमिधरी है। के मालिक मै प्रथमपक्ष व नामवर्दा मौसूफान ही चले आते है और हमारा ही नाम सरकारी कागजात खतौनी मे बहैसियत संक्रमणीय भूमिधरी के दर्ज चला आता है जिसमें सिवाय हमारे अन्य कोई दीगर हकदार व हिस्सेदार वगैरा किसी प्रकार का

सीता देवी

Banwari Lal

5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

/4/

नही है जो कि माने किसी प्रकार के इन्तकाल वगैरा का हो वे और जो आज तक मुझ प्रथमपक्ष व नामवुर्दा मौसूफान की तरफ से हर प्रकार के कर्जे, जेर, जमानत, नीलामी, रहन, बैय, हिबै, व हर प्रकार की देनदारियो व जिम्मेदारियो वगैरा से कतई तौर पर पाक व साफ है, अगर खिलाफ इसके कुछ जाहिर या साबित हो तो मै मुकिर प्रथमपक्ष व नामवुर्दा मौसूफान नतायज कानूनी के जिम्मेदार होंगे।

लिहाजा हम विक्रेता प्रथम व द्वितीय मुकिर स्वय व तृतीय बहैसियत मुख्तारेआम के विक्रीत आराजी का विक्रय करना वास्ते जरूरत अपनी के स्वीकार है, लिहाजा हम प्रथमपक्षगण स्वंय व नामवुर्दा मौसूफान खूब सोच व समझकर बिला बहकाये व सिखाये व बिला दवाब किसी नाजायज के न खाये पीये किसी मादक पदार्थ के पूर्ण होश हवाश के साथ विक्रीत आराजी का विक्रय समस्त हक व हकूक

सीता देवी

Bamlal

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

/5/

के साथ बिल एवज मुबलिग- 27,00,000/- सत्ताईस लाख रूपया कि आधे जिसके मुबलिग- 13,50,000/- तेरहलाख पचास हजार रूपया होते है मैं बदस्त श्री बालाजी सहकारी आवास समिति लि0 आगरा पंजीकरण संख्या 1213 दि0 13-05-88 ई0 बहैसियत सचिव श्री बनवारी लाल पुत्र श्री रोशन लाल निवासी ग्राम ककरैठा तहसील व जिला आगरा क्रेता द्वितीयपक्ष समिति से बैय कतई की और बेच दी और कीमत का कुल रूपया इस प्रकार प्राप्त किया कि मुबलिग- 9,00,000/- नौ लाख रूपया बजरिए एकाउण्ट पेई चैक नम्बरी - 001112 दि0 16-11-2005 ई0 द्वारा उत्तर प्रदेश कोपरेटिव बैंक लि0 शाखा बेलनगंज आगरा का चैक श्री श्रीनरायन गुप्ता विक्रेता प्रथमपक्ष ने प्राप्त किया व मुबलिग 9,00,000/- नौ लाख रूपया चैक नम्बरी 001117 दि0 16-12-2005 ई0 द्वारा उत्तर प्रदेश कोपरेटिव बैंक लि0 शाखा बेलनगंज शहर आगरा का चैक विक्रेता मुकिर नम्बर दो श्री राजीव कुमार उक्त ने प्राप्त किया व मुबलिग-

सीता देवी

Banwari Lal

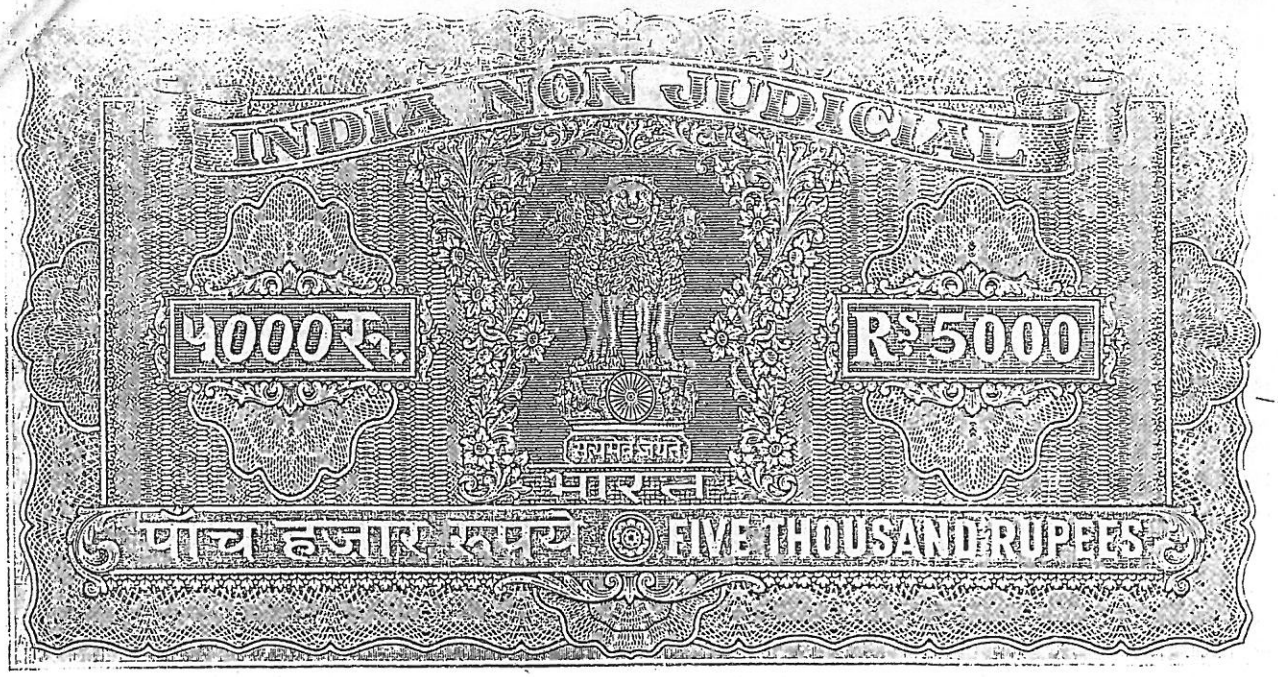

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs.5000

सत्यमेव जयते
भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

3266

/6/

9,00,000/- नौ लाख रूपया चैक नम्बरी 001118 दिनांक - 16-12-2005 ई0 द्वारा उत्तर प्रदेश कोपरेटिव बैंक लि0 शाखा बेलनगंज आगरा का चैक विक्रेता मुकिरानम्बर तीन श्रीमती सीता देवी ने वहैसियत मुख्तारेआम के प्राप्त किया इस प्रकार कीमत का कुल रूपया मुबलिग- 27,00,000/- सत्ताईस लाख रूपया हम प्रथमपक्षगण एवं नामवुर्दा मौसूफान ने प्राप्त कर लिया है, अब कुछ पाना या लेना बाकी नही रहा है और न भविष्य में होगा।

लिहाजा मौके पर विक्रीत आराजी पर कब्जा व दखल क्रेता द्वितीयपक्ष समिति का करा दिया और मालिक व मुस्तकिल बना दिया अब द्वितीयपक्ष समिति को हक व अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी से वहैसियत मालिकाना फायदा उठावे तथा वक्त जरूरत पड़ने पर चाहे जिस दीगर व्यक्ति से उसका रहन बैय हिवै आदि जो चाहे सो करे उज्र न होगा। क्रेता द्वितीयपक्ष समिति विक्रीत आराजी की बाबत अपने नाम का नामांकन सरकारी विभाग में जरिये बैनामा हाजा दर्ज करा लेवे जिसमे प्रथमपक्षगण व

सीता देवी

Banwari Lal

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

3265

/7/

नामवुर्दा मौसूफ अपनी अपनी पूर्ण रजामन्दी प्रदान करते है, यदि भविष्य में कोई कोमी या खानदानी या नीज या हमारा कोई वारिस किसी प्रकार का किफालतदार पैदा होकर क्रेता द्वितीयपक्ष समिति से किसी प्रकार का वाद विवाद या झगडा विक्रीत आराजी की बाबत उत्पन्न करता है या जिसकी वजह से या किसी दीगर वजह से द्वितीयपक्ष समिति के हक व अधिकार से विक्रीत आराजी का जुज या कुल भाग निकल जावे या किसी को कुछ रूपया अदा या देना पडे या बैनामा हाजा में कोई कानूनी कमी पायी जावे तो ऐसी तमाम सूरतो मे उसकी समस्त अदायगी मय सूद हर्जा व खर्चा व लागत आयन्दा प्रथमपक्षगण व नामवुर्दा मौसूफ एवं हमारे वारिसान की होगी तथा ऐसी प्रत्येक दशा में क्रेता समिति को हक व अधिकार होगा कि वह अपना जरे समन प्रथमपक्षगण व नामवुर्दा मौसूफ से चाहे जिस प्रकार वसूल करे जिसमे प्रथमपक्षगण व नामवुर्दा मौसूफ एवं हमारे वारिसान को कोई उज्र व एतराज नही होगा। विक्रीत

सीता देवी

Rajiv

Bambarilal

3264

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

06 2005

आगरा

/8/

आराजी पर वर्तमान में खेती हो रही है तथा विक्रेता एवं क्रेता दोनो पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नही है और दोनो पक्षों के पास सम्पूर्णभारत वर्ष मे साढे बारह एकड से अधिक भूमि नही है।

मुकिर्रर यह है कि उपरोक्त आराजी की बाबत प्रथमपक्ष ने एक इकरारनामा मुआहिदाबैय नोटराईज दि0 18-05-2004 ई0 को द्वितीयपक्ष समिति से मुबलिग़ 10,00,000/- दस लाख रूपया प्रति बीघा के हिसाब से तय व पक्का किया था।

सीता देवी

श्री ... समिति लि०,

आगरा

Bamlari Lal

3017

/9/

तथा विक्रीत आराजी नजूल व राजकीय आस्थान की सम्पत्ति नही है और सीलिंग विभाग द्वारा अधिगृहित नही की गयी है और विक्रीत आराजी पर किसी प्रकार का कोई मुआवजा आदि नही लिया गया है तथा विक्रीत आराजी का विक्रय गुडटाईटिल की गारण्टी के साथ क्रेता समिति के हक में किया जा रहा है तथा खर्चा बैनामा क्रेता समिति ने खुद वहन किया है।

सीता देवी

समिति लि०

Banwari Lal
सचिव

3016

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. | Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

आकाश कुमार श्रीवास्तव
13 DEC 2005
कोषाधिकारी, आगरा

/10/

लिहाजा यह बैनामा हस्व निर्देश पक्षकारान के लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 16-12-2005 ई0 व मसौदा वीरेन्द्र सिंह यादवेन्दु एडवोकेट व टायप वाई मोहित कुमार सदर तहसील आगरा।

सीता देवी

Banwari Lal

गवाह— सुभाष जैन S/o श्री भवरलाल जैन
नि० 9 LIG कालोनी [illegible] रोड आगरा

गवाह —
वीरेन्द्र कुमारी W/o विनोद कुमार
नि० नाला घाली मो० [illegible] आगरा

[illegible] कुमारी

[illegible] ADVOCATE
Sadar Tehsil, AGRA

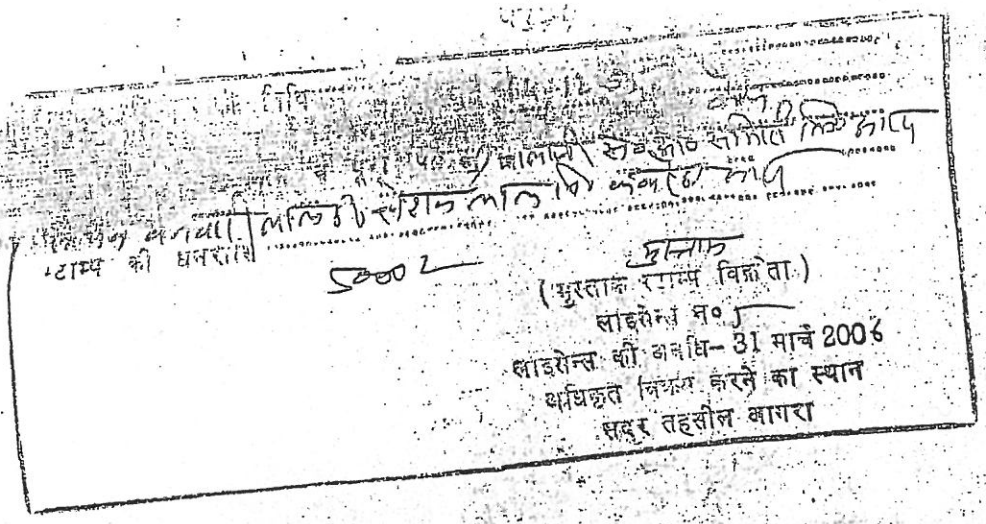

स्टाम्प की धनराशि 5000/-

(मुस्ताक स्टाम्प विक्रेता)
लाइसेन्स नं० 5
लाइसेन्स की अवधि- 31 मार्च 2006
अधिकृत विक्रय करने का स्थान
सदर तहसील आगरा

106 16-12-05

16-12-05

569 05
3-3-06

(71)

प्रमाणित किया जाता है कि ... बालाजी ...
... बनवारी लाल ...
... 224774 ... दो लाख चौबीस हजार सात सौ ...
... 5000 ...
... 20227 ...
... E-27 ... 3/10/06
... आज दिनांक 3/10/06 को
... I जिल्द सं० 5528
... 341/362 ... क्रम सं० 5125
... रजिस्ट्री की गई।

3/10/06

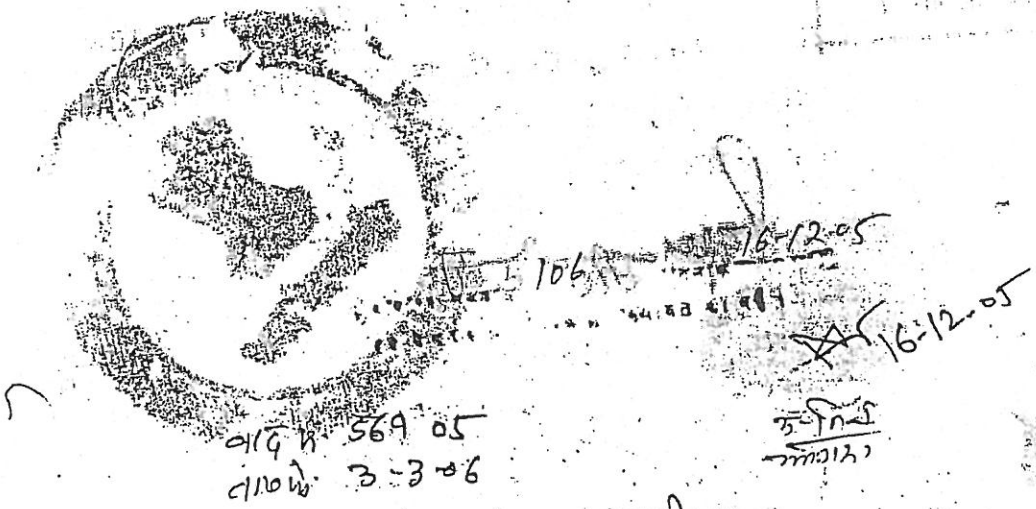

3/10/06